

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/179997/DER/DEORIA/1658/CFO
दिनांक : 03-12-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **S D S INTERNATIONAL SCHOOL** पता -,VILL-LAXMIPUR, RAMLAKSHAN, RUDRAPUR ROAD,DEORIA तहसील - RUDRAPUR प्लॉट एरिया **3163.47 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4367.03** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.83 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **S D S INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **04-12-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VISHVAVIJAY NISHAD** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-12-2025** से **04-12-2030** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **S D S INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **S D S INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO DEORIA निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है-
1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 01वर्ष में न्यूनतम 02-बार फायर आडिट तथा विद्युत् ऑडिट कराकर प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
2-भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3-भवन में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
4-अतिरिक्त भवन निर्माण/अधिभोग हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये।
5-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना होगा।
6-प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा तथा लॉक नहीं किया जायेगा।
7-शा0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **05-12-2025**
स्थान : **DEORIA**



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Arun Kumar

63F826DE50AA10615D7E0C8F7CC174FE0F456B9D

05-12-2025